



विधवाओं का वैक्तिक अध्ययन

मंजीत सिंह

शोध अध्येता- टी0डी0 कॉलेज, जौनपुर (उ0प्र0)

Received- 10.08.2020, Revised- 14.08.2020, Accepted - 17.08.2020 E-mail: - variskhanjnp@gmail.com

सारांश : मुख्यतः वैक्तिक अध्ययन किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय के समग्र अध्ययन की एक विशेष विधि है। समाज विज्ञान में सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत केवल सांख्यिकी और परिमाणत्मक प्रविधियों से अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समाजिक अनुसंधान में अनेक ऐसे तथ्य होते हैं। जिन्हें समझने/जानने अथवा प्रदर्शित करने हेतु गुणात्मक विधियों के द्वारा उनका अध्ययन करना अति-आवश्यक होता है। देखा जाये तो वैक्तिक अध्ययन भी इसी प्रकार की एक विधि है। जिसके अन्तर्गत शोध से जुड़े विशेष सामाजिक इकाइयों को अध्ययन का केन्द्र बिन्दु मानकर उससे जुड़े विभिन्न पक्षों का तथ्यपरक एवं गहन अध्ययन के किया जाता है।

कुंजीशब्द- वैक्तिक अध्ययन, समुदाय, समग्र, अध्ययन, सामाजिक अनुसंधान, अन्तर्गत, सांख्यिकी ।

वैक्तिक अध्ययन माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन की विशेष घटना परिस्थितियों समस्याओं अथवा उसके जीवन के समस्त पक्षों का अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कहना है कि वैक्तिक अध्ययन पद्धति किसी व्यक्ति विशेष के अध्ययन पद्धति तक ही सीमित नहीं होती है। वरन वैक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से संस्थाओं, समुदायों, परिवार, राष्ट्र आदि का भी अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत षोध में सांख्यिकी विश्लेषण के साथ वैक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। चूँकि विधवा महिलाओं से जुड़े विभिन्न ऐसे पक्ष हैं जिन्हें सांख्यिकी अथवा अन्य विधियों से प्राप्त करना कठिन था। अस्तु विधवाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा आधुनिक समाज में उनका सामाजिक समायोजन से जुड़े विभिन्न पक्षों के तथ्यगत एवं गहराई से अध्ययन करने हेतु वाराणसी में निवासित विधवा महिलाओं का अध्ययन इस प्रकार है।

केस संख्या- 1. बनारस में रहने वाली आविदा की उम्र आज पैंसठ वर्ष है, कभी बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रही थीं माँ-बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। पति स्वर्गीय रूजन बुनकर थे और बनारसी साड़ी का नक्शा बनाते थे। आविदा जी के तीन बेटे और तीन बेटियाँ हैं। लेकिन जब बत्तीस साल की उम्र में पति की मृत्यु टी0बी0 से हुई और एक बेटा भी अचानक से चल बसा तो इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पढ़ाई-लिखाई तो पहले ही नहीं हुई थी और पति की बीमारी ने जो भी जमीन थी उनको बेचकर दवा दारू में लगा दिया था। पहले तो परिवार और आस-पड़ोस का व्यवहार ठीक रहा लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात सभी रिश्ते-नाते खराब होने लगे, आविदा अपनी बड़ी लड़की के पास रहने लगी, लेकिन

बढ़ती उम्र में जब नातिनों ने भी परेशान करना शुरू किया तो मजबूरी में बनारस में पिवाला घाट स्थित (मदर टेरेसा आश्रम) का सहारा लेना पड़ा यहाँ आने के बाद अपने जैसी और महिलाओं से मिलने का मौका मिला तो जैसे लगा में ही दुःखयारी नहीं हूँ। समी की समस्या एक है। जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने का हौसला यहीं से मिला। यहाँ खाना-पिना, दवा की व्यवस्था के साथ-साथ सम्मान भी मिल जाता है। यहाँ आने वाले लोग माई करके बात करते हैं तो अच्छा लगता है। कभी-कभी लगता है कि पत्र पढ़-लिख लिये होते तो यह दिन देखना न पड़ता अब तो बस मिलने वाली पेंशन का ही सहारा है। अब यही आश्रम मेरा परिवार है।

केस संख्या -2. कभी उच्च शिक्षा के लिए जाने-जाने वाले बिहार स्थित नालन्दा में 4 नवम्बर 1942 में जन्मी शान्ति देवी का बचपन घर पर ही बीता लेकिन दुर्भाग्य रहा कि माता-पिता का देहान्त जल्दी ही हो गया था। इन्हें उनके दादा-दादी ने पाला। शान्ति देवी की शादी 9 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। उनके पति परमेश्वर ब्रम्हदेव मिडिल तक पढ़े थे, और किसानी करते थे। शान्ति देवी का जीवन पति के रहने तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब इन्हें दम की बीमारी ने जकड़ा तो खेत-खलिहान बेचकर भी हम उनकी जान नहीं बचा सके। परिवार में एक बेटा और एक बेटा भगवान ने हमको प्रदान किये थे, 1999 में जब पति की मृत्यु हुई तो भी मैं जीवन से लड़ने का हौसला रखती थी, लेकिन दो हजार तीन में जब डकैती पड़ी और उस डकैती में नौकरी से छुट्टी पर आये मेरे बेटे की हत्या डकैतों ने कर दी, तब शान्ति देवी का हौसला डगमगाया। ऐसी स्थिति में भतीजे



ने सहारा दिया, लेकिन वह भी मुझे कब तक पालता और अन्त में उसने मुझे महादेव की नगरी काशी में जाकर राजघाट पर छोड़ दिया, फिर मुझे याद नहीं कि कब मैं इस सतुआबाबा आश्रम को आ गई। शान्ति देवी मानती हैं कि पति तो देव होता है, उनको अपनाना चाहिए। जैसा पूर्व जन्म व्यक्ति कर्म करता है। वैसा ही वर्तमान में भोगता है। इसलिए परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए। अब तो यह आश्रम ही मेरा घर है यही पर रहकर भगवान की पूजा करना और उन्हें याद करना मेरा मुख्य काम है। दैनिक जरूरतें यहाँ आने वाले दानियों से सुलभ से पूरी हो जाती है। इस बूढ़ी चमड़ी के लिए इतना पर्याप्त है। मैं एक सन्देश देना चाहूँगी कि यदि महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे भगवान को ही अपना लेना चाहिए।

केस संख्या -3. शारदा देवी का जन्म बिहार की नगरी सासाराम में हुआ लेकिन जब बारह वर्ष की उम्र में ही श्री लक्ष्मण चौधरी से विवाह हुआ, तो वह बनारस आ गई। चूँकि पति यहाँ नौकरी करते थे। प्रारम्भ में समय बहुत अच्छा बीता सब तरफ खुषहाली बरस रही थी। परिवार भी साथ देता था। समय बितता रहा और वह दो लड़कों और दो लड़कियों की माता बन गई। घर का खर्चा पति द्वारा कमाये गये पैसे से ही चलता था, अचानक जब पति की मृत्यु फालिस के अटैक पड़ने से हुई तो सब अस्त-व्यस्त हो गया ऐसा लगा कि भाग्य ने ही मुंह मोड़ लिया सास-ससुर, देवर देवरानी सभी ने मुंह मोड़ लिया, संघर्ष के दिनों मैं काम करने लगी लड़को की शादी हो गई और जब उनका परिवार बढ़ा तो मेरी देख-रेख कम हो गई। चूँकि मेरा बेटा प्राइवेट नौकर है तो मैं उसकी परेषानी न देख पाई और मैंने वृद्धा आश्रम में आने का फैसला किया। भगवान का शुक है कि यहाँ आने के बाद मुझे ढेर सारा प्यार और सम्मान मिला। मुझे ऐसा लगता है कि सभी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, पढ़ना चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों को जाने और उन्हें पाने का प्रयास करें। शारदा देवी का कहना है कि कम उम्र में महिला अगर विधवा हो तो उसकी शादी कर देनी चाहिए जिससे सामाजिक विषमताओं से बचा जा सके।

केस संख्या -4. बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी में कदम-कदम पर घाट हैं और घाटों पर बने हुए मंदिर। बनारस नगरी के निकट जिला जौनपुर के एक जमींदार परिवार में व्याही गई दुर्गा सिंह का जीवन परियां की गाथा जैसा प्रतीत होता है। दुर्गा सिंह का जन्म कोलकाता में हुआ, पति बनारसी सिंह आठवीं पास थे और खेती करके जीवन यापन करते थे। भरे-पूरे परिवार में आई दुर्गा का स्वागत सभी ने किया। कालांतर में दुर्गा जी के सात बच्चे

हुए। सभी कुछ ठीक-ठाक ही चल रहा था मैं और मेरे पति बाइस एकड़ की जमींदारी का लाभ ले रहे थे, पता नहीं कब पति को दमा की बीमारी ने घेर लिया और बहुत प्रयास करने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। फिर तो जैसे लगा कि दुर्गा के परिवार को किसी की नजर लग गई और षीघ्र ही चार बेटों में से दो कि मृत्यु चेचक की वजह से हो गई। पति के न रहने से पट्टीदारों ने प्रताड़ित करने प्रारम्भ कर दिया और परिवारिक सम्पत्ति में घाल-मेल करना शुरू कर दिया। बढ़ती उम्र के साथ वह अपने को असहाय महसूस करने लगी तभी एक और वज्रपात हुआ दुर्गा के दो बड़े बेटे बीस और बाईस वर्ष थी एक सड़क दुर्घटना में मारे गये। यह बताते-बताते दुर्गा जी की आँखों में कई बार आँसू आये और गये आगे की जिन्दगी काटने के लिए बड़ी बेटी के ससुराल का सहारा लिया लेकिन कब तक एक मां अपनी बेटी के ससुराल में रोटी तोड़ सकती थी। अचानक एक दिन दुर्गा जी ने निर्णय किया और महादेव की नगरी वाराणसी आ गई। जमींदारनी अब एक भिच्छुक की स्थिति में आ चुकी थी। यहाँ भगवान का सहारा मिला और पिछले पांच वर्ष से राजकीय वृद्धा आश्रम वाराणसी में रह रही हैं। अब इनका मन यहीं रमता है। और यहाँ से जाने को नहीं करता अब तो जीना-मरना काशी में ही है क्योंकि यहाँ हर किसी को सहारा मिल जाता है।

केस संख्या -5. शान्ति देवी का जन्म गाजीपुर जनमद के (चौरा ग्राम) जो मनिहारी ब्लाक में पड़ता है हुआ था शान्ति देवी की शादी आजमगढ़ जनपद के मेंहनगर ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले मौलियाँ ग्राम सभा में हुआ था। इनके पति मुम्बई पुलिस में मुख्य आरक्षी थे। तेज तर्रार और ईमानदार छवि के व्यक्ति बदरीनाथ सिंह (शान्ति के पति) का किसी बात को लेकर वहाँ के थाना प्रभारी से विवाद हो गया मामला कोर्ट तक पहुँचा और कोर्ट में बहस के दौरान ही बदरीनाथ सिंह थाना प्रभारी को किसी बात को लेकर थप्पड़ जड़ दिये इसके बाद बदरीनाथ सिंह को बर्खास्त कर दिया गया और वे अपने पैतृक गांव मौलियां आ गये। कालांतर में शान्ति देवी को तीन बेटे और एक बेटी पैदा हुई। कुछ समय पश्चात उसके बेटों और बेटी की शादी हो गयी। बदरीनाथ सिंह की मृत्यु के पश्चात शान्ति देवी का मन घर पर नहीं लगता था। एक बार वह आत्मा की शान्ति और शारीरिक शुद्धि गंगा स्नान हेतु बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुँची वहाँ पहुँचकर वह मोक्ष प्राप्ति हेतु काशीवास करने लगीं। यहां भगवान का सहारा मिला और पिछले दस वर्ष से नेपाली आश्रम (ललिता घाट) में रह रही है। अब इनका मन यहीं रमता है और यहां से जाने को नहीं करता। अब तो जीना मरना काशी में ही है। क्योंकि यहां



उसको मुक्ति मिल जाती है।

केस संख्या-6. यह केस 30 वर्षीय कुर्मी जाति की महिला का है। 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ तथा विवाह के 35 वर्ष पश्चात वह विधवा हो गयी इनके पति डी0एल0 डब्लू0 में मजदूरी करते थे। इनके विवाह से एक पुत्र तथा एक पुत्री है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी किसी तरह घर का खर्च चलता है। जब तक पति थे तब तक इससे बेहतर जीवन-यापन कर रहे थे। पति को एड्स हो गया था जिसके कारण वह डी0एल0 डब्लू0 का कार्य छोड़कर घर पर ही रहने लगे, कुछ समय के पश्चात् उनका देहान्त हो गया, जो परिवार के लिए अत्यन्त कष्टदायी रहा बीमारी के कारण इनके पति को किसी ने कांधा देना (दाह-संस्कार) स्वीकार नहीं किया, अतः महिला ने स्वयं मृत शरीर को रस्सियों से बांधकर, मोहल्ले से दूर हरिशचन्द्र घाट पर दाह-संस्कार किया। पति की मृत्यु के बाद दो बच्चे और बूढ़े सास-ससुर का भार इस महिला पर ही आ गया जिसके कारण इनका जीवन और कष्टदायी हो गया। तत्पश्चात् इन्होंने लोक-लज्जा को त्याग कर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए दुर्गाकुण्ड स्थित जालान शो रुम में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया, वर्तमान समय में अपने बच्चों की शिक्षा ग्रहण कराने में कोई परेशानी न आये तो वह शेष समय में घर पर ही सिलाई का कार्य भी करती हैं। शोधकर्ता द्वारा जब पुनर्विवाह की बात पूछी गयी तो उन्होंने इसके सन्दर्भ में कहा कि “मेरे पति के जाने के बाद मुझे परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के अलावा और कुछ सही नहीं लगा इसलिए मैंने पुनर्विवाह करना जरूरी नहीं समझा” उपरोक्त से यह जानकारी प्राप्त होती है कि एक महिला को विधवा होने के बाद रीतियों के साथ जिम्मेदारियों का भी भार आ जाता है।

केस नम्बर-7. प्रेमा देवी पिछले 25 वर्षों से स्थानीय मारवाड़ी अस्पताल में सेवा कार्य कर रही हैं। इन्होंने बतलाया की 22 वर्ष की अवस्था में विधवा होकर पिता के घर चली आयी। सास-ससुर नौकरी करते थे। इस समय देवर के लड़के हैं। सभी नौकरी करते हैं। काशीवास के सन्दर्भ में इन्होंने उल्लेख किया कि यहाँ मेरी नानी काशीवास कर रही थी। एक बार उन्हें देखने के लिए मैं काशी आयी। हां मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके साथ यहाँ 5 वर्ष तक रह गयी। मैंने जिज्ञासा की काशी में क्या अच्छा लगा आपको, बोली- “यहाँ गंगा मुझे बहुत अच्छी लगी। गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन में बहुत सुख मिला, मन को बहुत संतोष होता है। नानी के मरने के बाद यहाँ से वापस लौटने की इच्छा नहीं हुई। नानी नेपाल में राजा

के यहाँ नौकरी करती थीं, नौकरी से अवकाश होने पर उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। पिता ने काशी में रहने के लिए बहुत मना किया, लेकिन मैं वापस नहीं गयी। नानी ने कहा यहीं रहो, जो मैं खाती हूँ तुम भी खाना। उनके मरने के बाद मैं यहीं रह गयीं। आगे उन्होंने बताया आश्रम के स्वामी जी की कृपा से एक कमरा मिल गया है, जब तक रहना है रह रही हूँ आगे का भगवान जाने। गाँव में हमें खाने-पहनने का कष्ट नहीं था लेकिन वहाँ गंगास्नान और विश्वनाथ का दर्शन कहाँ था। महिलाओं के विवाह की उम्र पर चर्चा करते हुए इन्होंने बतलाया कि ‘नेपाल में पहले की तरह अब कम उम्र में विवाह नहीं हो रहा है। बड़ी उम्र में विवाह इसलिए हो रहा है कि अब लड़का-लड़की पढ़ने-लिखने लगे हैं, अतः शादी के वय में वृद्धि हो गयी है। पुनर्विवाह के सम्बन्ध में इन्होंने कहा कि ‘नेपाल में नीची जातियों में पुनर्विवाह होता है। ब्राम्हणों में बिल्कुल नहीं होता। इनके विचार से यदि लड़की कम उम्र में विधवा हो जाय तो उसका पुनर्विवाह कर देना चाहिए। इधर-उधर, लुका-छिपी करने से तो अच्छा है लड़की कायदे की जगह रहे, सुख करे। अपनी आजीविका के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए इन्होंने बतलाया कि “मैं ट्रेनिंगवाली नर्स नहीं हूँ, फिर भी मुझे 12000 रु0 प्रतिमाह मिलता है। ट्रेनिंग वालों को चाहे कुछ भी ज्ञान न हो उन्हें 16000 रु0 मिलता है। जो ट्रेनिंग करके आती हैं उनको हमें सिखलाना पड़ता है। मैंने 2000 रु0 माह से नौकरी शुरू की 25 वर्ष हो गये अस्पताल में काम करते। इस पैसे से मुझे सिर्फ इतना सहारा है कि सूखी रोटी मिल जाती है। गंगा का दर्शन मिल जाता है बस इसी से संतोष है। मुझे काशी में रहने का अवसर मिला यही मेरा सैमाग्य है।”

केस संख्या-8. नेपाली आश्रम (ललिता घाट) में रहने वाली विवहा देवी पिछले 30 वर्षों से काशी में हैं। 24 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी। अपनी जमीन-जायदाद बेटे को सौंप कर इनके पिता इन्हें तथा इनकी माता को लेकर काशीवास के लिए यहाँ आये। यहाँ 6 वर्ष के अन्दर ही इनके माता-पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। विवहा देवी को नेपाल सरकार से कुछ वर्षापन मिलता है। इनकी काशी छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। यहां गंगा, विश्वनाथ का दर्शन मिलता है। जब तक माता-पिता जीवित थे तब तक भाई खर्च भेजता रहा उनके मर जाने पर बन्द कर दिया। 2 वर्ष से वर्षाशन मिल रहा है इसके पहले विद्यार्थियों का भोजन बनाकर गुजारा करती थी। जब से वर्षाशन मिलने लगा तब से भोजन बनाने का काम बन्द कर दिया है, सिर्फ बत्ती बनाती है। हजार बत्ती बनाने पर 300 रु0 मिलते हैं, तीन दिन में एक हजार बत्ती बन



जाती है।

यहाँ पर विवहा देवी ने कुछ तथ्य हमसे छिपाये। दूसरों से मालूम हुआ कि माता-पिता के गुजर जाने के पश्चात् ये अपनी बहन के पास आसाम चली गयी थीं। वहाँ कुछ काम करती थी। पाँच वर्षों में इन्होंने 50000 रुपये इकट्ठा किये। आसाम में ही यह रूपया सूद पर लगा दिया और स्वयं काशी चली आई। इनके पास 15-16 तोला सोना भी है। इस मठ के महन्त इनके दूर के रिश्तेदार हैं। इन्हें एक वक्त का भोजन मठ की ओर से मिलता है। यह पूछने पर कि अपने ससुराल वालों से अपना हिस्सा क्यों नहीं माँगती, इन्होंने कहा “हमारा हमदर्द होकर कौन जेट, देवर से हक दिलायेगा, ऐसे कौन देने आता है। मैने संतोष कर लिया है, गंगाजल पीकर रहूँगी, पट्टीदारों के साथ नहीं रहूँगी। आखिर में सबका अन्त एक जैसा होगा, अमीर-गरीब सब एक जैसे ही मरते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा करोगो वैसा भरोगे। अपने से किसी को कष्ट नहीं देना, धोखा-बेईमानी नहीं करना।” अपनी आस्था तथा नियम-संयम की चर्चा पर इन्होंने कहा— “बाजार की बनी चाय तक नहीं लेती, अपना बनाया भोजन करती हूँ, दूसरों द्वारा बनाया हो तो मन नहीं भरता। असमर्थ होने पर भगवान ही मालिक, वहीं मददगार भेजेगा। अच्छा किया होगा तो वृद्धावस्था में भगवान कोई न कोई सहारा अवश्य देगा, अन्यथा जैसा किया होगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। “काशी न छोड़ने का कारण पूछने पर विवहा देवी ने बतलाया “काशी में जहाँ जाओ, जिधर से गुजरो चारो ओर राम का नाम सुनाई पडता है, देखिये कितना अच्छा भजन हो रहा है। (लाडडस्पीकर पर ज्ञानवापी में चलने वाले

मानस पाठ की ध्वनि आ रही थी), दूसरी जगह ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ भी न करो तो कम से कम भगवान का नाम कानों में पड़ता रहा है, यह क्या कम है। भला ऐसे पवित्र स्थान को कौन छोड़ना चाहेगा। मरते वक्त लोग कानों में राम का नाम बोलते हैं, यहाँ पैदा होने से मरने तक राम-कृष्ण बराबर सुनते रहो, कुछ भी न करो फिर भी यहाँ मर कर मुक्त हो जाओ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chen Martha Alter Widows in India. Social Neglect and Public Action (New Delhi, Sage, (1988).
2. Government of India Sample Registration System : Fertility and Mortality Indications 1991, (New Delhi Govt. of India, 1993).
3. Kitchlu, T.N. Wodows in India, (New Delhi Ashish, 1993).
4. Lopata, Helona Znaniesis (ed.) Current Wid owhood, Myths and Realities (New Delhi, Sage, 1996).
5. Mittal Satyprakash and Maurya Ramlakhan Kashi Me Mokshkami Pravasi Vidhvayen.
6. National Commission Women and Women in Informal Sector Shramaskthi (New Delhi, Government of India, 1988) .
7. Pathak Bindeshwar and Tripathi Satyendra, Widows in India, Rawat Publications.
